



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

पत्रोंक: टीएस-सीसीटीएनएस-08 / 2013
सेवा में,

28
दिनांक: मई , 2015

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय:- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये हैण्ड होल्डिंग स्टाफ की एस०ओ०पी० विषयक।
सन्दर्भ:- समांक पत्र दिनांकित 04.02.2015, 19.03.2015

कृपया अवगत कराना है कि हैण्ड होल्डिंग स्टाफ सीसीटीएनएस योजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। हैण्ड होल्डिंग स्टाफ पुलिस कर्मियों के दिन-प्रतिदिन के सूचना प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित CAS के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे। अतः आपके जनपद में सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये "हैण्ड होल्डिंग स्टाफ" द्वारा जनपद के समस्त सर्किल आफिस एवं डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में पुलिस कर्मियों को सूचना प्रोद्योगिक से सम्बन्धित CCTNS के संचालन में सहयोग प्रदान किया जायेगा जिसमें Handholding Staff के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. साफ्टवेयर कम्प्यूटर लैन सहवर्ती उपकरण एवं कनेक्टिविटी से सम्बन्धित स्थानीय तकनीकी समस्या का निवारण करना।
2. थानों के पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर के संचालन एवं एमएस आफिस पर किये जा रहे कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
3. पुलिस कर्मियों को CAS के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
4. Handholding Staff सप्ताह में 06 दिन सोमवार से शनिवार तक कार्य करेगा।
5. Handholding Staff की उपस्थिति पंजिका के खरखाद का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी का होगा, ताकि आगामी समय में उक्त की उपस्थिति का सत्यापन जनपद स्तर से किया जा सके।
6. हैण्ड होल्डिंग स्टाफ की प्रतिदिन उपस्थिति प्रातः 9.30 बजे से सायंकाल 6.30 बजे तक है।
7. क्षेत्राधिकारी/थाने में नियुक्त हैण्ड होल्डिंग स्टाफ हर माह के अन्तिम दिन अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसका अवलोकन कर हैण्ड होल्डिंग स्टाफ की उपस्थिति क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर व मोहर सहित प्रमाणित की जायेगी।
8. हैण्ड होल्डिंग स्टाफ का रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन अवकाश होगा।
9. इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 20-11-2014 के द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया है कि जिस सर्किल मुख्यालय पर हैण्ड होल्डिंग स्टाफ नियुक्त है वह सर्किल अफसर अपनी जिम्मेदारी से ही हैण्ड होल्डिंग स्टाफ को अपने सर्किल के थाने में आवागमन की व्यवस्था करेंगे।
10. सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत जनपद में आने वाली समस्याओं का निवारण सर्किल कार्यालयों में नियुक्त हैण्ड होल्डिंग स्टाफ से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करें। यदि वह सम्बन्धित समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध हैण्ड होल्डिंग स्टाफ को सूचित करें। फिर भी यदि समस्या रह जाती है तो एनआईआईटी हेल्प डेस्क नं० 180030005050 एवं सीयूजी नं० 9454401970 पर कॉल करके शिकायत अंकित कराये तथा शिकायत नं० ले लें। किसी भी समस्या के प्रकाश में आने पर सर्वप्रथम हैण्ड होल्डिंग स्टाफ से ही समस्या निवारण कराये एवं उसी के माध्यम से समस्या अग्रसारित करायें।
11. Handholding Staff द्वारा उपरोक्त विषयक दक्षता ज्ञान, कार्यक्षमता निम्न स्तर की पाये जाने पर अथवा कुशलता से कार्य न कर पाने की कोई शिकायत, अथवा अनुपस्थित एवं कार्यालय समय में पूर्ण उपस्थिति न रहना इत्यादि परिलक्षित होती है तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल इस मुख्यालय को सूचित किया जाय।

अतः Handholding Staff से सीसीटीएनएस का कार्य लिये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

28/03/15
(पी०सी०मीना)
पुलिस महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अपर पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त जौन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त परिषेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनआईआईटी।
- 5- श्री राजीव वर्षिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रोंक:टीएस-सीसीटीएनएस-08/2013

दिनांक:मार्च 19, 2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद उत्तर प्रदेश।

**विषय:- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये हैण्ड होल्डिंग स्टाफ की एस0ओ0पी0
विषयक।**

कृपया अवगत कराना है कि हैण्ड होल्डिंग स्टाफ सीसीटीएनएस योजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। हैण्ड होल्डिंग स्टाफ पुलिस कर्मियों के दिन-प्रतिदिन के सूचना प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित CAS के संचालन में सहयोग प्रदान करेंगे।

अतः आपके जनपद में सीसीटीएनएस योजना के सफल कियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये "हैण्ड होल्डिंग स्टाफ" द्वारा जनपद के समस्त सर्किल आफिस एवं डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में पुलिस कर्मियों को सूचना प्रोद्योगिक से सम्बन्धित CAS के संचालन में सहयोग प्रदान किया जायेगा जिसमें Handholding Staff के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

- 1-यह सुनिश्चित करना कि थानों पर लगे कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण कार्य कर रहे हैं।
- 2-साफ्टवेयर, कम्प्यूटर लैन सहवर्ती उपकरण एवं कनेक्टिविटी से सम्बन्धित स्थानीय तकनीकी समस्या का निवारण करना।
- 3-थानों के पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर के संचालन एवं एमएस आफिस पर किये जा रहे कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- 4-पुलिस कर्मियों को CAS के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- 5-Handholding Staff सप्ताह में 06 दिन सोमवार से शनिवार तक कार्य करेगा।
- 6-Handholding Staff की उपस्थिति पंजिका के रखरखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी का होगा, ताकि आगामी समय में उक्त की उपस्थिति का सत्यापन जनपद स्तर से किया जा सके।
- 7-हैण्ड होल्डिंग स्टाफ की प्रतिदिन उपस्थिति प्रातः 9.30 बजे से सायंकाल 6.30 बजे तक है।

8-क्षेत्राधिकारी/थाने में नियुक्त हैण्ड होल्डिंग स्टाफ हर माह के अन्तिम दिन अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसका अवलोकन कर हैण्ड होल्डिंग स्टाफ की उपस्थिति क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर व मोहर सहित प्रमाणित की जायेगी।

9- हैण्ड होल्डिंग स्टाफ का रविवार एंव राजपत्रित अवकाश के दिन अवकाश होगा।

10-इस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 20-11-2014 के द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया है कि जिस सर्किल मुख्यालय पर हैण्ड होल्डिंग स्टाफ नियुक्त है वह सर्किल अफसर अपनी जिम्मेदारी से ही हैण्ड होल्डिंग स्टाफ को अपने सर्किल के थाने में आवागमन की व्यवस्था करेंगे।

11-सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत जनपद में आने वाली समस्याओं का नियारण सर्किल कार्यालयों में नियुक्त हैण्ड होल्डिंग स्टाफ से सम्पर्क कर समस्या का समाधान करें। यदि वह सम्बन्धित समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध हैण्ड होल्डिंग स्टाफ को सूचित करें। फिर भी यदि समस्या रह जाती है तो एनआईआईटी हेल्प डेस्क नं० 180030005050 एंव सीथूजी नं० 9454401970 पर कॉल करके शिकायत अंकित कराये तथा शिकायत नं० ले लें।

उल्लेखनीय है कि जिन जनपदों में अभी Handholding Staff उपलब्ध नहीं कराया गया है वहाँ पर शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः Handholding Staff से सीसीटीएनएस का कार्य लिये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

15-3-15
(मोहित अग्रवाल)
पुलिस महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवायें, मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त जोन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 4- श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनआईआईटी।
- 5- श्री राजीव वर्षिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।



मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएँ

चतुर्थ सल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक: टीएस-सीसीटीएनएस-08 / 2013
रोमांग मे.

दिनांक फरवरी ५, 2015

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीकार/पुलिस अधीकार,
जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय - सीसीटीएनएस योजना के अन्वयन उपलब्ध कराये गये हैंड हॉलिडग रटाफ की एसओएफी विषयक।

कृपया अधिगत करना है कि हैंड हॉलिडग रटाफ सीसीटीएनएस योजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण अग्र है। हैंड हॉलिडग रटाफ पुलिस कर्मियों के दिन-प्रतिदिन के सूचना प्राप्तिकी से साधारण CAS के साचालन में राहयोग प्रदान करेगे।

अतः आपके जनपद में सीसीटीएनएस योजना के साफल कियारथन हेतु उपलब्ध कराये गये "हैंड हॉलिडग रटाफ" द्वारा जनपद के रामरत सकिल आफिस एवं डिस्ट्रिक्ट हैंड क्वार्टर में पुलिस कर्मियों को सूचना प्रोटोकॉल से सम्बन्धित CAS के सचालन में राहयोग प्रदान किया जायेगा जिसमें Handholding Staff के सामग्री में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

- 1-यह सुनिश्चित करना कि थानों पर लगे कम्प्यूटर एवं सहारी उपकरण कार्य कर रहे हैं।
- 2-प्राक्तन देवर कम्प्यूटर तथा सहारी उपकरण एवं कैमेक्ट्रिकी से साधारण स्थानीय तकनीकी समरया द्वारा नियारण करना।
- 3-आगे की पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर के साचालन एवं एगरस आफिस पर किये जा रहे कार्यों में राहयोग प्रदान करना।
- 4-पुलिस कर्मियों को CAS के साचालन में राहयोग प्रदान करना।
- 5-Handholding Staff सप्ताह में 06 दिन सोमवार से शनिवार तक कार्य करेगा।
- 6-Handholding Staff की उपरिथित पंजिका के राखरखाय का उत्तराधित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी का होगा, जिसके आगामी समय में उपर की उपरिथित का सत्यापन जनपद स्तर से किया जा सके।
- 7-हैंड हॉलिडग रटाफ की प्रतिदिन उपस्थिति प्रातः ९.३० बजे से सायंकाल ६.३० बजे तक है।
- 8-सीनेश्वरी/थाने में नियुक्त हैंड हॉलिडग रटाफ हर तार के अन्तिम दिन अपना उपरिथित प्रमाण पत्र शीजाइजारी के राम्र प्रस्तुत करेगा जिसका अवलोकन कर एवं हैंड हॉलिडग रटाफ की उपरिथित सीनेश्वरी/थाना अपने हस्ताक्षर व मोहर राखित प्रगाणित की जायेगी।
- 9-हैंड हॉलिडग रटाफ का रखिवार एवं राजपत्रिता अवकाश के दिन अवकाश होगा।
- 10-इस गुख्यालय के सामान पत्र दिनांक 20-11-2014 के द्वारा पूर्ये गें आदेश दिया गया है कि जिस सकिल गुख्यालय पर हैंड हॉलिडग रटाफ नियुक्त है वह सकिल अफसर अपनी जिम्मेदारी से ही हैंड हॉलिडग रटाफ को अपने सकिल के थाने में आवागमन की वापसी करें।

उल्लेखनीय है कि जिन जनपदों में अपनी Handholding Staff उपलब्ध नहीं कराया गया है वहाँ पर नीचे ही उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः Handholding Staff सीसीटीएनएस का कार्य लिये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

(डॉक्टर चौधरी)
पुलिस उपग्रहनीशक,
तकनीकी सेवाएँ, गुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निगमनिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है-

- 1- अपर पुलिस गहनिरीशक, तकनीकी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- पुलिस गहनिरीशक, तकनीकी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- रामरत जान पुलिस गहनिरीशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- रामरत परियोगी पुलिस उप गहनिरीशक, उत्तर प्रदेश।
- 5- श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एआईआईटी।
- 6- श्री सजीत वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।